

न्यायालय, भूमि सुधार उप समाहर्ता, बुण्डू (राँची)

छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा- 46(1) बी के तहत

आर. एम. वाद संख्या-एम०-54/2021-2L

राजेन्द्र महतो बनाम् विभा कुमारी

1	2	3
---	---	---

10/12/2021

विक्रेता का नाम एवं पता-

राजेन्द्र महतो पिता-स्व० मगजी महतो
ग्राम-ताऊ, (बालाडींग), पो०-बुण्डू, थाना-बुण्डू,
जिला-राँची, जाति-कुरमी, पेशा-खेती ।

क्रेता का नाम एवं पता:-

विभा कुमारी, पति-श्रीकान्त कुमार महतो
ग्राम-सताकी, (कुलकुटाँड) पो०-सताकी,
अंचल-राहे, थाना-अनगड़ा, जिला-राँची
(झारखण्ड) जाति-कुरमी, पेशा-गृहणी ।

विद्वान अधिवक्ता का नाम:-

श्री आर. सी. महतो

विक्रेता के द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक 06/10/2021 को आवेदन देकर छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा-46 (1) बी के तहत क्रेता विभा कुमारी, पति-श्रीकान्त कुमार महतो ग्राम-सताकी, (कुलकुटाँड) पो०-सताकी, अंचल-राहे, थाना-अनगड़ा, जिला-राँची (झारखण्ड) जाति-कुरमी, पेशा-गृहणी । के हाथों निम्नलिखित जमीन की बिक्री हेतु अनुमति माँगी है:-

जमीन की विवरणी

मौजा	थाना/थाना संख्या	खाता संख्या	प्लॉट संख्या	रकवा
मधुकमा	बुण्डू/61	29	183	12 डी० चौहद्दी- उ०-सम्बत महतो द०-नन्द किशोर महतो पू०-प्रस्तावित रास्ता 12 फीट चौड़ा, प-घासी महतो

उक्त आवेदन के आलोक में अंचल अधिकारी बुण्डू से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई। साथ ही सर्वसाधारण को जानकारी हेतु आम ईस्तेहार भी निर्गत किया गया।

अंचल अधिकारी बुण्डू का पत्रांक -721(11) दिनांक 26/11/2021 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है। जो निम्नवत है:-

1. प्रस्तावित जमीन के खतियानी रैयत कोमल महतो वल्द समवद महतो कौम-कुरमी के नाम से दर्ज है।
2. खतियानी रैयत/पंजी-11 रैयत के संबंध पोता का है।
3. पंजी-11 के अनुसार रैयत का नाम कमल महतो पिता-सम्बत महतो है तथा रैयत के पास कुल जमाबंदी रकवा-3.45 एकड़ जमीन है।
4. प्रस्तावित जमीन का मालगुजारी वर्ष 2008-2009 तक वसूली की गई है।
5. खतियान के आधार पर जमाबंदी कायम है।
6. सर्वे खतियान के अनुसार प्रस्तावित जमीन दोन 111 किस्म है।
7. प्रस्तावित जमीन बिक्री करने के पश्चात विक्रेता के पास रकवा-3.33 एकड़ जमीन शेष रह जायगा।
8. विक्रेता प्रस्तावित जमीन को मकान निर्माण हेतु बिक्री कर रहे है।

10

10/12/2021

9. क्रेता एवं विक्रेता दोनों कुरमी जाति के सदस्य है एवं दोनों जिला-राँची के निवासी है।

उपरोक्त प्रतिवेदन में अंचल अधिकारी बुण्डू ने छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा-46 (1) बी के तहत विक्रेता राजेन्द्र महतो पिता-स्व० मगजी महतो, ग्राम-ताऊ, (बालाडींग), पो०-बुण्डू, थाना-बुण्डू, जिला-राँची, जाति-कुरमी, पेशा-खेती को क्रेता विभा कुमारी, पति-श्रीकान्त कुमार महतो, ग्राम-सताकी, (कुलकुटाँड) पो०-सताकी, अंचल-राहे, थाना-अनगड़ा, जिला-राँची (झारखण्ड) जाति-कुरमी, पेशा-गृहणी। के हाथों बिक्री करने की अनुमति देने की अनुशंसा की है।

इस न्यायालय के द्वारा दिनांक 06/10/2021 को निर्गत आम सूचना का तामिला प्रतिवेदन संबंधित अंचल कार्यालय से प्राप्त है। आज तक किसी भी व्यक्ति ने कोई आपत्ति दायर नहीं किया गया है।

अतः अंचल अधिकारी बुण्डू के अनुशंसा के आलोक में निम्नलिखित जमीन की विक्रेता राजेन्द्र महतो पिता-स्व० मगजी महतो ग्राम-ताऊ, (बालाडींग), पो०-बुण्डू, थाना-बुण्डू, जिला-राँची, जाति-कुरमी, पेशा-खेती को क्रेता विभा कुमारी, पति-श्रीकान्त कुमार महतो ग्राम-सताकी, (कुलकुटाँड) पो०-सताकी, अंचल-राहे, थाना-अनगड़ा, जिला-राँची (झारखण्ड) जाति-कुरमी, पेशा-गृहणी के हाथों बिक्री करने की अनुमति छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा-46 (1) बी के तहत दी जाती है तथा अवर निबंधक बुण्डू/जिला अवर निबंधक राँची को आदेश दिया जाता है कि प्रस्तावित जमीन की बिक्री सरकार द्वारा निर्धारित दर से कम में नहीं करेंगे।

जमीन की विवरणी

मौजा	थाना/थाना संख्या	खाता संख्या	प्लॉट संख्या	रकवा
मधुकमा	बुण्डू/61	29	183	12 डी० चौहद्दी- उ०-सम्बत महतो द०-नन्द किशोर महतो पू०-प्रस्तावित रास्ता 12 फीट चौड़ा, प-घासी महतो

लेखापित एवं सशोधित

भूमि सुधार उप समाहर्ता
बुण्डू।

भूमि सुधार उप समाहर्ता
बुण्डू।